



2026:AHC-LKO:40575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4032 वर्ष 2026

बाला @ विनोद कुमार मिश्रा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विनय कुमार तिवारी

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार तिवारी द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2025, धारा 105 भा०न्या०सं, थाना- इटियाथोक, जिला गोंडा में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के उस बयान में आवेदक की संलिप्तता पाई गई है, जो कथित घटना के एक वर्ष बाद दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। (जमानत आदेश आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न हैं)। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है और आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 17.05.2026 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता दोनों ने ही आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि घटना में आवेदक की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें रात में गांव में घुसे एक निर्दोष मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को आवेदक समेत ग्रामीणों ने पीटा था। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि शिकायतकर्ता के बयान में आवेदक की संलिप्तता सामने आई, जो कथित घटना के एक वर्ष बाद दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट, गवाहों के बयान, अन्य सह-आरोपियों के जमानत आदेश और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सामग्री को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. आवेदक बाला @ विनोद कुमार मिश्रा को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2025 में 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भा०न्या०सं० के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि अधीनस्थ न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो अधीनस्थ न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

जून 9, 2026

वीकेएस

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।